

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2022-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

क. सारणी में,-

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) मद (xii) में, कोष्ठक और अंक "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(vii), (viii)," को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, "एक हजार रुपए से अधिक लेकिन" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]”;

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-”;

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4), और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----

<p>"(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-</p>		
<p>(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;</p>	<p>2.5</p>	<p>बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो।</p> <p>[कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p>
<p>(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो ।</p>	<p>2.5</p>	<p>1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा।</p> <p>[कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]</p> <p>2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा</p>
	<p>या</p>	
	<p>6</p>	

		<p>करके किया जाएगा :</p> <p>बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा ।</p> <p>बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर केंद्रीय कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के लिए विकल्प देने के पहले-पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा ।”;</p>
--	--	--

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	<p>बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारत इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो।</p> <p>[कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]”;</p>

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-";

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	-";

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक ",(ia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं।	9	-";

स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है ।		
--	--	--

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)," को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) /नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो ।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा , जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं ।	6	-“;

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक “(i)”के पश्चात, कोष्ठक और अंक “और (ia)” को अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

" (xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) ' नैदानिक प्रतिस्थापन ' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के

निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; “;

(xxxix) “स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं” से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगों या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx)“ माल परिवहन अभिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

अनुबंध V: किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा ।

“अनुबंध V

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

संदर्भ संख्या .-

दिनांक: -

1. मैंने/हमने _____ (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्वारा, संघ राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और संघ राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 के

सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;

2. मैं इस बात को समझता हूँ कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा ।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:

जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है । वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।“.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 190354/176/2022- टी आर यु]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021, सा.का.नि. 925 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।